



102
31/11/88

भारत का राजपत्र The Gazette of India

शाधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 26, 1988 / अग्रहायण 5, 1910
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 26, 1988/AGRAHAYANA 5, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (सर्व राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, नियमों का प्रारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

योजना प्रायोग

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1988

सा.का.वि. 915 (राष्ट्रीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुत द्वारा अखिल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और योजना प्रायोग (कोटोस्टेटसह-आपरेटर) मर्ती नियम, 1987 और योजना प्रायोग (पशुवह कोटोस्टेटसह-आपरेटर) मर्ती नियम, 1987 को, उक्त मर्ती के विस्तार-भविष्यत करते हुए, निम्नलिखित अधिनियम से नये विनियम हैं या करीब या जोर किये गये हैं योजना प्रायोग में कोटोस्टेटसह-आपरेटर मर्ती के पद पर मर्ती की पदवि का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना प्रायोग (कोटोस्टेटसह-आपरेटर) मर्ती नियम, 1988 है। ये राजपत्र में प्रकाशन को तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उक्त वेतनमान बढ़ होगा जो इन नियमों से उक्त अनुच्छेद के अन्वय 2 से अन्वय 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. मर्ती की पदवि, आय, सीमा, प्रवृत्त धारि: उक्त पद पर मर्ती की पदवि, आय, सीमा, प्रवृत्त धारि और उक्त संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुच्छेदों के अन्वय 6 से अन्वय 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्यातार्थ: यह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने एक पति या धर्मपत्नी परमा के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र ही होगा

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 2nd November, 1988

G.S.R. 928.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules 1977, namely :—

1. (1) These rules may be called the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1988.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules 1977, against Sl. No. 1, 2 and 3, relating to the posts of Tutor, Public Health Nursing Supervisor and Clinical Instructor for the existing entries under column 6, the following shall be substituted, namely :—

"35 years relaxable by 10 years for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government."

Note.—The Principal rules were published in part II section (3) of sub-section (1) of the Gazette of India under G.S.R. No. 205 dated 22-6-77.

[No. Z-16025/3/86/N, PMS]

G. G. K. NAIR, Under Secy.

सूचना और प्रचारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1988

सं.का.नि. 928—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरदर्शन विदेशालय में पंकर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने के अधीन—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरदर्शन महाविद्यालय (पंकर समूह 'ब' भर्ती नियम, 1988) है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान ये होंगे जो इन नियमों में उपाध्य अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं: उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनमें संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 में स्तम्भ 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्वहण: यह व्यक्ति—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या धर्मपत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य प्रकार को लागू राष्ट्रीय विधि के प्रधान अनुसूची है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिक्षण करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की भावना, आवेग द्वारा शिक्षण कर सकेगी।

6. व्यापकता: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनुपूर्व मैत्रिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अन्य पद अथवा अन्वयन नद	सेवा में जोड़े गए पदों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन असुदीय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
पंकर	1* (1988) कार्यभार के आरंभ पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ब' असाजपलित अनुसूचित	750-12-870- द.पं.-14- 940 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए शिक्षण करने 45 वर्ष की जा सकती है। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों में (उनसे मिले जो

1	2	3	4	5	6	7
						<p>अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है। आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई तारीख होगी।</p> <p>रोजगार कार्यालय के सहायक से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अश्वारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी तब तक रोजगार कार्यालय में नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>
	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य महत्त्वपूर्ण		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक महत्त्वपूर्ण प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।			परिक्षा की अंतिम तारीख को ही
		8		9		10
	आवश्यक अर्हता :			लागू नहीं होता		2 वर्ष
	1. मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण। 2. किसी सरकारी विभाग या किसी व्यापारिक या कृषि-संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त कार्य का कम से कम छह मास का अनुभव।					
	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विशिष्ट पदवियों द्वारा जारी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।					प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे अयोग्य होंगे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
		11				12
		सीधे भर्ती द्वारा				लागू नहीं होता
	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना					भर्ती करने में किन्तु परिस्थितियों में मंत्र लोक सेवा आयोग में परामर्श किया जाएगा।
		13				14
	समूह 'ब' विभागीय प्रोन्नति समिति पुण्डि/दक्षतारोपक पार करने के संबंध में विचार करने के लिए					लागू नहीं होता
	1. उप निदेशक (प्रशासन, दूरदर्शन महानिदेशालय)—अध्यक्ष। 2. अनुभाग अधिकारी (कर्मचारिवृन्द-II अनुभाग) दूरदर्शन महानिदेशालय—सदस्य। 3. वितरण प्रबंधक, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय—सदस्य।					

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 7th October, 1988

G.S.R. 929—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of packer in the Directorate General Doordarshan, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Directorate General Doordarshan (Packer Group 'D') Recruitment Rules, 1988.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post,

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are no other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or Non-selection post.	Whether benefit of added yrs. of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules 1972	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualification required for direct recruitment.
1	2	3	4	5	6	7	8
Packer	1*	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted Non-work-load.	Rs. 750-12-870-EB-14-940.	Not applicable.	No.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto 45 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment made through the Employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Essential Qualification: 1. Middle school standard passed. 2. Experience of at least six months of packing work in a Government Department or Commercial Agency or reputed.

Washor age and edu- cational qualifica'tions prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	P. No. of Pro- bation, if any:	Method of recruit- ment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruit- ment by promotion/ deputation/transfer grade from which promotion/deputation transfer to be made.	If a Departmental Pro- motion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruit- ment.
9	10	11	12	13	14
Not applicable.	2 years	By Direct recruitment.	Not applicable.	Group 'D' Departmental Promotion Committee for confirmation/crossing of efficiency bars. 1. Deputy Director (Administration) Directorate General: Doordarshan—Chairman 2. Section Officer Staff II Section Directorate General: Doordarshan—Member. 3. Distribution Manager Directorate of Adver- tising and Visual Publicity—Member.	Not applicable.

[No. 506/19/88-TV(A)]
V.K. ARORA, Under Secy.